सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 296/15 **निर्णय दिनांकः 19.06.2019**

1. चन्नीखॉ पुत्र गुलाम कादर जाति मुसलमान निवासी गुलामवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. राजां बेवा खींवरे खॉ
2. सुहक पत्नी भोले खॉ
3. बचाया
4. अलाजीवाया — पिसरान भोले खॉ
5. अखीमन्द
6. मिश्रीखॉ
7. सहीदा — पिसरानी अमीर खॉ
8. सुभान खॉ
9. इदे खॉ

जाति मुसलमान निवासी बिजेरी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 01—07—2014
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 01—07—2014 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके अपीलांट को बतौर मिडियम पेच आवंटित भूमि के रिकार्ड में

अमलदरामद करने से रोकने का आदेश जारी किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 12 बीएम के मुरब्बा नम्बर 90/40 के किला नम्बर 2 ता 8, 13, 14 में 9 बीघा खातेदारी भूमि है। अपीलांट की उपरोक्त भूमि के चिपते ही मुरब्बा नम्बर 90/39 के किला नम्बर 1, 8, 13, 18, 19, 23 में 5 बीधा कमाण्ड तथा किला नम्बर 3 ता 7, 8 13 ता 14, 21 में 8 बीघा अनकमाण्ड कुल 13 बीधा भूमि आराजीराज दर्ज रिकार्ड होने पर अपीलांट द्वारा उक्त भूमि के मिडियम पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायाल द्वारा दिनांक 06—05—2014 को उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट को बतौर मिडियम पेच किया गया। दिनांक 01—07—2014 को सहायक आयुक्त उपनिवेाशन, कोलायत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 ने आराजी जैर पर अपना कब्जा बताते हुए अपीलांट के आवंटन का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने से रोकने का आदेश प्रदान किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 12 बीएम के मुरब्बा नम्बर 90/40 के किला नम्बर 2 ता 8, 13, 14 में 9 बीघा स्थित है। अपीलांट की उपरोक्त भूमि के चिपते ही मुरब्बा नम्बर 90/39 के किला नम्बर 1, 8, 13, 18, 19, 23 में 5 बीधा कमाण्ड तथा किला नम्बर 3 ता 7, 8 13 ता 14, 21 में 8 बीघा अनकमाण्ड कुल 13 बीधा भूमि आराजीराज दर्ज रिकार्ड होने पर अपीलांट द्वारा उक्त भूमि के मिडियम पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायाल द्वारा दिनांक 06—05—2014 को उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट को बतौर मिडियम पेच किया गया। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा तमाम राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई है।

उन्होनें आगे बताया कि दिनांक 01—07—2014 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं होने के कारण अपीलांट को किया गया आवंटन विधि विरूद्व होने से राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने से रोका जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्य मौजूद थे कि उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 गैर खातेदार है तथा मिडियम पेच आवंटन की पात्रता नहीं रखते है। फिर भी मात्र कब्जा होने का कथन कर अपीलांट के आवंटन को बाधिक करने का प्रयास किया गया है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। आदेश जैर अपील विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के सामने प्रस्तुत होते हुए भी आवंटन अधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलांट को किया गया है। मिडियम पेच आवंटन नियमों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि आराजी जैर के चिपते सभी काश्तकारों को विधिवत रूप से नोटिस प्रदान किया जाकर पात्रता की जॉच करते हुए आवंटन किया जावे। आवंटन अधिकारी द्वारा तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए मात्र अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किये जाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि मौके पर आज दिनांक तक रेस्पोडेन्ट्स का कब्जा काश्त है। उक्त स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर आदेश जैर अपील के माध्यम से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के आवंटन का अमल दरामद किये जाने पर रोक लगाई गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है। किसी भी अवैद्य आवंटन पर किसी भी स्तर पर

रोक लगाये जाने का कानून में स्पष्ट रूप से प्रावधान निहित है। अपीलांट द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपने पक्ष में कराया गया है। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते ही उनके द्वारा आवंटन के अमल दरामद किये जाने पर रोक लगाये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स का तर्क है कि मिडियम पेच आवंटन हेतु पड़ौसी काश्तकारों से प्रस्ताव नहीं लिये गये तथा अकेले चन्नीखॉ से आवेदन प्राप्त कर गुपचुप तरीके से आवंटन कर दिया। रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त 13 बीघा भूमि में से 7 बीघा भूमि पर अपना कब्जा बताया है तथा आवंटन आदेश का अमलदरामद रोकने को अंतरिम आदेश बताते हुए अपील की श्रेणी से भिन्न आदेश बताया है।

इस संबंध में उभय पक्षों की बहस तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चक 12 बीएम के मुरब्बा नम्बर 90/39 की 13 बीघा आराजीराज भूमि के मिडियम पेच आवंटन हेतु अपीलांट चन्नीखॉ द्वारा आवेदन किया। आवेदन प्राप्त होने पर आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन योग्य भूमि के पड़ौसी खातेदारों के बारे में तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई गई। पड़ौसी काश्तकारों में से आवेदक चन्नीखॉ को छाड़कर शेष गैर खातेदार होने के कारण आवंटन के पात्र नहीं पाये गये। अतः आवंटन अधिकारी ने चन्नी खॉ के पक्ष में आवंटन आदेश जारी कर दिया गया। उक्त आवंटन आदेश की कोई अपील नहीं हुई तथा मात्र शिकायत के आधार पर आवंटन दूषित मानकर अमलदरामद से रोकने का आदेश जारी कर दिया गया। पूर्व आदेश की विधिवत रिव्यू भी नहीं हुई तथा ना ही आदेश निरस्त किया गया। विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना विधिक आदेश का अमल रोकना विधि सम्मत नहीं है। ऐसा आदेश न तो विधिक आदेश की परिभाषा में आता है ना ही अंतरिम आदेश के रूप में है फिर भी इस प्रकार के

आदेश से आवंटी के हित व अधिकार प्रभाविक होने के कारण अपील सुनवाई हेतु ली गई तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत दिनांक 01—07—2014 निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर